अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

गांधी चौक के पास, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन 07752-220007, 220031, 220032, 220033, 220037, 220014 फैक्स. 07752-220031, 260294

ई–मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in Website : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / 4661 / स्था.प्रशा. / 2020 बिलासपुर, दिनांक 17.09.2020

प्रति,

संशोधित दिशा–निर्देश

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– **वार्षिक परीक्षा 2019–20 की शेष परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका को परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय से प्राप्त करने एवं लिखित उत्तर पुस्तिका को जमा करने के संबंध मे।**

संदर्भः–
01. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला– मुंगेली का पत्र क्रमांक 11728 / नि. स. / 2020, मुंगेली, दिनांक 15.09.2020
02. प्राचार्य, शास.जे.पी. मिश्रा महाविद्यालय, मुंगेली का पत्र क्रमांक 520 / परीक्षा / 2020, मुंगेली, दिनांक 15.09.2020
03. विश्वविद्यालय का पत्र क्रमाक / 1550 / परी.गोप. / 2020, दिनांक 09.09.2020, पत्र क्रमाक / 1556 / परी.गोप. / 2020, दिनांक 10.09.2020 एवं पत्र क्रमाक / 1558 / परी. गोप. / 2020, दिनांक 11.09.2020,

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के कुछ जिलो एवं क्षेत्रों में कोविड–19 के व्यापक संक्रमण के कारण लॉकडाउन एवं धारा–144 लगायी गयी है। साथ ही छात्र प्रतिनिधियों एवं महाविद्यालयों द्वारा उत्तर पुस्तिका जमा / वितरण करने के संबंध में आ रही कठिनाईयों से अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिये पत्र प्रेषित किया गया है।

कोविड–19 के संक्रमण से उत्पन्न हो रही विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा विश्वविद्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण में कुछ महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 के दिशा–निर्देशों (सोशल डिस्टेंसिग) का पालन नहीं किये जाने के कारण तथा परीक्षार्थियों / महाविद्यालयों के स्टॉफ को कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत, समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, फिजिकल डिस्टेंस एवं सेनेटाईजेशन की प्रक्रिया का पालन करते हुए, परीक्षार्थियों को महाविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिका के वितरण एवं लिखित उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय में जमा करने के लिये पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन आदेश जारी किये जाते है–

01. सभी परीक्षार्थियों को कार्यालयीन समयावधि में उत्तर पुस्तिका ऑनलाईन वितरित की जाये एवं विशेष दशा में ही परीक्षार्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महाविद्यालय आकर भी उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकेंगे।

02. जिन जिलो / क्षेत्रों में लॉकडाउन है, वहॉ के परीक्षार्थी लॉकडाउन की समाप्ति के पश्चात् 05 दिवसों के भीतर उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय में ऑनलाईन / डाक (स्पीड पोस्ट) एवं विशेष दशा में व्यक्तिशः कार्यालयीन समयावधि में जमा कर सकेगे।

03. जिन जिलो / क्षेत्रों में धारा 144 लागू है, वहॉ के परीक्षार्थी धारा 144 के नियमों का पालन करते हुए 05 दिवसों के भीतर उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय में कार्यालयीन समयावधि में जमा कर सकेंगे।

क्रमशः पृ0क्र0 02....

04. स्नातक (अंतिम) एवं स्नातकोत्तर (अंतिम) वर्ष के परीक्षार्थी दिनांक 05.10.2020 तक लिखित उत्तर पुस्तिका ई–मेल/पंजीकृत डाक (स्पीड पोस्ट) के माध्यम से महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिका व्यक्तिशः कार्यालयीन समयावधि में कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए जमा कर सकेंगे।

05. स्नातक (प्रथम एवं द्वितीय) वर्ष के स्वाध्यायी परीक्षार्थी तथा स्नातकोत्तर (पूर्व) के स्वाध्यायी परीक्षार्थी दिनांक 12.10.2020 तक लिखित उत्तर पुस्तिका ई–मेल/पंजीकृत डाक (स्पीड पोस्ट) के माध्यम से महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिका व्यक्तिशः कार्यालयीन समयावधि में कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए जमा कर सकेंगे।

06. समस्त लिखित/वितरित उत्तर पुस्तिकाओं के रिकार्ड का संधारण एवं उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना, समय–समय पर समस्त जानकारी विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की जवाबदारी प्राचार्यो की होगी।

07. प्राचार्य, प्रतिदिन महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिका वितरण एवं संग्रहण हेतु व्यवस्था बनाये रखेंगे, जिससे परीक्षा तिथि के समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों की अत्यधिक भीड़ महाविद्यालयों में एकत्रित ना हो।

टीपः–

01. परीक्षार्थी को निर्धारित अंतिम तिथि तक ई–मेल/डाक (स्पीड पोस्ट) से उत्तर पुस्तिका प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित करें जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके। केवल विशेष परिस्थिति में कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए महाविद्यालयों में व्यक्तिशः उत्तर पुस्तिका जमा करते हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करे।

02. समस्त प्राचार्यो को कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए उचित प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

आदेशानुसार
17.9.2020
कुलसचिव

पृ.क्रमांक/4662/स्था.प्रशा./2020 बिलासपुर, दिनांक 17.09.2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय(उच्च शिक्षा), शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर (विज्ञान) महाविद्यालय, सीपत रोड़ बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. संपादक/संवाददाता, दैनिक .... समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ कि उक्त अधिसूचना को अपने समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. कार्यालयीन प्रति/वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

17.9.20
परीक्षा नियंत्रक